अपील सूचना अधिकार संख्या 37/2018 कुलदीप कुमार नायक पुत्र साधुराम नायक गांव 8 के बी (बी) पोस्ट ऑफिस पतरोडा, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम राज्य सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.07.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कुलदीप कुमार नायक दिनांक 27.06.2018 को उपस्थित हुआ, परन्तु आज अपीलार्थी स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर का जवाब शामिल मिसल है।

प्रार्थी ने यह अपील इस आधार पर पेश की है कि दिनांक 15.04.18 को ऑन लाईन प्रार्थना पेश किया था, जिसमें चाही गई सूचनाएं उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई इसलिए चाही गई सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे और प्रार्थी को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी कुलदीप कुमार नायक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.04.2018 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः–

जि.क.
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीमान्जी आपके अधीनस्थ अधिकारी, अनूपगढ एसडीएम पद पर कार्यरत श्री मनमोहन मीणा, उप जिला कलक्टर अनूपगढ के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज दस्तावेजों की प्रति व सूचना निम्न अनुसार प्रदान करें :

1. जाति प्रमाण पत्र
2. 10 वीं कक्षा की अंकतालिका
3. मूल निवास
4. अधिकारी ने किस पद पर सरकारी सेवा में किस दिनांक को ज्वाईन किया।
5. अधिकारी किस बैच के आर.ए.एस हैं
6. गंगानगर जिले में अनुसूचित जनजातियां भारत के राजपत्र 1976 अंग्रेजी व 1979 हिन्दी के अनुसार जनजाति की सूची की प्रति दोनों भाषा में
7. गंगानगर में किस जनजाति के प्रमाण पत्र बनाने पर हस्ताक्षर ने रोक लाग रखी है अगर किसी जाति पर रोक है तो उस आदेश की प्रति।

उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2018 को उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को अपीलार्थी को चाही गई सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु भिजवाया गया , जिसकी प्रति सूचनार्थ अपीलार्थी को भी दी गई है।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा अपने पत्रांक पो.बा./आर.टी.आई./18/2039 दिनांक 18.05.2018 द्वारा अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया :

रा।आ।
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा आपका सूचना के अधिकार के अन्तर्गत पत्र दिनांक 23.04.2018 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। आप द्वारा वांछित सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है। : 1. बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की सूचना इस कार्यालय में संधारित नहीं है। उक्त बिन्दु संख्या 4 से 5 प्रश्नवाचक है। प्रश्नों का उत्तर सूचना के अधिकार अन्तर्गत दिया जाना संभव नहीं है। 2. बिन्दु संख्या 6 से संबंधित सूचना राज्य सरकार/भारत सरकार की बैबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in व egazette.nic.in पर देखी जा सकती है। 3. बिन्दु संख्या 6 के सम्बन्ध में उल्लेखित है कि जिले में जनजाति प्रमाण पत्र बनाने में रोक संबंधी कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्अर प्रशासन के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु एवं लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई हेतु तलब किया गया तो राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के कार्यालय ने अपने पत्रांक एफ1(23)(3)स्था./18/7388 दिनांक 09.07.2018 अपील की सूचना निम्न उत्तर दिया गया : :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आवेदक श्री कुलदीप कुमार नायक के द्वारा चाही सूचना के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपने कार्यालय के पत्रांक पो.बा./आरटीआई/18/2039 दिनांक 18.05.2018 के द्वारा आवेदक को निम्न प्रकार से सूचना उपलब्ध करवाई गई :

1. बिन्दु संख्या 1 से 5 तक् की सूचना इस कार्यालय में संधारित नहीं है। उक्त बिन्दु संख्या 4 से 5 प्रश्नवाचक है। प्रश्नों का उत्तर सूचना के अधिकार अन्तर्गत दिया जाना संभव नहीं है।
2. बिन्दु संख्या 6 से संबंधित सूचना राज्य सरकार/भारत सरकार की बैबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in व egazette.nic.in पर देखी जा सकती है।
3. बिन्दु संख्या 6 के सम्बन्ध में उल्लेखित है कि जिले में जनजाति प्रमाण पत्र बनाने में रोक संबंधी कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए है।

उपरोक्त विवेचन के अधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि आवेदक/अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 01 से 05 तक के सम्बन्ध में चाही गई सूचना श्री मनमोहन मीणा, उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ (तृतीय पक्षकार की व्यक्तिगत सूचना होने के कारण) के सेवा अभिलेख एवं व्यक्तिगत सूचना संबंधित थी, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) के अनुसार देय नहीं है। इसलिए आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं है। बिन्दुसंख्या 06 के सम्बन्ध में सूचना उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपने कार्यालय के पत्रांक पो.बा./आरटीआई/18/2039 दिनांक 18.05.2018 के द्वारा आवेदक को सूचित किया जा चुका है कि वांछित सूचना राज्य सरकार/भारत सरकार की वेबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in व egazette.nic.in पर देखी जा सकती है। बिन्दु संख्या 07 के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने आवेदक को प्रतिउत्तर प्रेषित किया है कि जिले में जनजाति प्रमाण पत्र बनाने में रोक संबंधी कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए है। बिन्दु संख्या 07 के सम्बन्ध में विकास शाखा में टिप्पणी ली जानी उचित होगी।

उक्त अपील के संबंध में पृथक से अन्य पत्रावली अथवा रिकॉर्ड इस कार्यालय में संधारित नहीं है। अतः प्रकरण में वस्तुस्थिति रिपोर्ट/टिप्पणी सादर प्रस्तुत है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, प्रशासन द्वारा अवगत करवाया गया है कि बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की सूचनाएं श्री मनमोहन मीणा, उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के सेवाभिलेख एवं व्यक्तिगत सूचना होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जे) के अनुसार दिये जाने योग्य नहीं होने के कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जहां तक बिन्दु संख्या 06 की सूचना का सम्बन्ध है तो राज्य सरकार/भारत सरकारी की वेबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in व egazette.nic.in पर देखी जा सकती है। इसलिए उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक सूचनाओं के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता हे। जहां तक बिन्दु संख्या 07 का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, को आदेशित किया जाता है कि गंगानगर जिले के अगर किसी जानजाति के प्रमाण पत्र बनाने सम्बन्धी रोक है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में अपीलार्थी को इस आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर–भीतर सूचना उपलब्ध करवाई जावे। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर प्रशासन को भी आदेश दिये जाते है कि उनके पत्र दिनांक 09.07.2018 की प्रमाणित प्रति भी अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर एवं प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो यह आदेश आज दिनांक 18.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर